निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
13/2024	27.6.2024	19/2/26

1. शिवसिंह पुत्र हरज्ञान, जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
2. शेरसिंह पुत्र हरज्ञान, जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
3. हरख्याल पुत्र छोटे, जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
4. विमलेश पत्नि स्व0 रतन, जाट नि0 वजीरपुर तहसील वजीरपुर——प्रार्थीगण

बनाम

1. गिर्राज पुत्र लल्लू, जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
2. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर ——अप्रार्थीगण
3. उदय पुत्र छोटे, जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
4. नरेन्द्र पुत्र रतन, जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
5. नीलम पुत्री रतन, जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
6. प्रभाती पुत्र छोटे, जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
7. बुद्धो पुत्री छोटे, जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
8. मिथलेश पुत्री हरज्ञान, जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
9. लहरकोर पत्नि हरज्ञान, जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
10. वर्षा पुत्री रतन, जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
11. मयंक पुत्र विजयसिंह नाबालिग जरिए संरक्षक माता रीना, जाट नि0वजीरपुर
12. रीना पत्नि विजयसिंह, जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
13. विरेन्द्र पुत्र हरज्ञान, जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
14. शकुन्तला पुत्री छोटे, जाट निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर

——प्रोफार्मा अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री मनीष कुमार अग्रवाल, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना [illegible] ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आ[illegible] का [illegible]तुत किया है कि भूमि ख0नं0 1861 ग्राम वजीरपुर में [illegible] है जो प्रार्थी[illegible] व प्रोफार्मा अप्रार्थी सं0 4 लगायत 15 की संयुक्त खाते[illegible] की आराजी है। ख0नं0 [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। ख0नं0 1863 ग्राम वजीरपुर की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:24:42 IST
Reason: SelfAttested

1948 गै0मु0सडक स्थित है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि ख0नं0 1861 ग्राम वजीरपुर पर आने जाने के लिए ख0नं0 1863 में होकर आम रास्ते तक आमद रफत करते चले आ रहे हैं जो सबसे निकटतम रास्ता है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने, ट्रेक्टर–ट्रोली व कृषि कार्य में उपयोग में आने वाले अन्य साधन को लाने व ले जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। इस आमद रफत के रास्ते को नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण व ट्रेक्टर–ट्रोली उक्त रास्ते से हमेशा आते जाते रहे हैं परन्तु कुछ समय से अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 24.6.2024 को प्रार्थीगण को धमकी दी कि तुमको इस रास्ते से नहीं आने जाने देंगे ना ही तुम्हारे कृषि साधनों को आने जाने देंगे। प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 1861 तक पहुंचने का सबसे निकटतम रास्ता है। प्रार्थीगण को नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाए गए रास्ते पर 16 फीट चौडा रास्ता दिलाया जावे तथा रास्ते में जाने वाली भूमि के लिए प्रार्थीगण डी0एल0सी0 दर के अनुसार अप्रार्थी को मुआवजा राशि देने को तैयार है। प्रार्थीगण की आराजी ख0नं0 1861 पर आने जाने के लिए अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थीगण को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग के लिए नजरी नक्शे में दर्शाई गई लाल रंग की भूमि पर 16 फीट चौडा रास्ता दिलाया जावे। प्रार्थीगण को मुआवजा राशि से अवगत कराया जावे ताकि प्रार्थीगण भूमि की मुआवजा राशि अदा कर सके। ख0नं0 1861 के शेष खातेदारों के उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हें प्रोफार्मा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 14 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0नं0 1861 ग्राम वजीरपुर पर पहुंचने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ख0नं0 1863 ग्राम वजीरपुर में से नजरी नक्शे में दर्शाए गए लाल रंग की भूमि में होकर रास्ता 16 फीट चौडाई में दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि की एवज में सरकारी दरों के अनुसार अप्रार्थी को मुआवजा देने हेतु प्रार्थीगण को मुआवजा राशि से अवगत कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 14 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थी संख्या 2 लैण्ड होल्डर तहसील[illegible]रपुर से प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना कोई जवाब प्रस[illegible] नहीं किया है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने [illegible] जमाबंदी सं0 2076 से 2079 खाता संख्या 885, खाता संख्या 367, खाता संख्या 145, खाता संख्या 1, नकल नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा प्रस्तुत किए हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:24:42 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ना तो जवाब प्रस्तुत किया गया है और ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार वजीरपुर ने उनके कार्यालय के पत्रांक भू0अ0/2024/929 दिनांक 29.10.2024 से अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थीगण भूमि ख0न0 1861 ग्राम वजीरपुर के खातेदार काश्तकार है। इस पर आने जाने के लिए प्रार्थीगण ख0न0 1863 में होकर रास्ता चाहते है जो प्रार्थीगण के खेत तक पहुचने के लिए नजदीकतम रास्ता है। प्रार्थीगण इसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 को डी.एल.सी. दर से राशि भी भुगतान करने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को ख0न0 1863 में होकर 16 फिट चौडा रास्ता प्रार्थीगण के खेत तक आने जाने के लिए दिया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी ख0नं0 1863 में होकर रास्ता चाहते हैं जबकि ख0नं0 1863 के सम्बन्ध में पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट दिनांक 25.10.2024 के अनुसार इसमें दक्षिणी–पूर्वी कोने पर 6.5 मीटर वाई 6 मीटर का ईंटो का टीनशेड बना हुआ एवं उक्त टीनशेड से लगता हुआ दक्षिणी मेड पर ही 12 वाई 2.5 मीटर की 5 गह पाटोरपोश बनी हुई है जिसमें अप्रार्थी परिवार सहित निवास करता है, शेष दक्षिणी मेड पर पक्की चारदीवारी हो रही है। इस प्रकार मौके पर पक्की चारदीवारी को तोडकर रास्ता दिया जाना कानून के विपरीत है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार वजीरपुर के पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/929 दिनांक 29.10.2024 के साथ प्राप्त भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा ख0नं0 1863 से रास्ता ख0नं0 1861 को चाहा गया है। इस रिपोर्ट में अंकित विवरण के अनुसार ख0नं0 1863 के दक्षिणी–पूर्वी कोने पर 6.5 मीटर वाई 6 मीटर का ईंटो का टीनशेड बना हुआ एवं उक्त टीनशेड से लगता हुआ दक्षिणी मेड पर ही 12 वाई 2.5 मीटर की 5 गह पाटोरपोश बनी हुई है जिसमें अप्रार्थी परिवार सहित निवास करता है, शेष दक्षिणी मेड पर पक्की चारदीवारी हो रही है। इसी रिपोर्ट में अंकित विवरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:24:42 IST
Reason: SelfAttested

के अनुसार विकल्प के रूप में ख0नं0 3487 गै0मु0सडक से सटवा ख0नं0 1858 अथवा ख0नं0 1857 में होकर ख0नं0 1861 के लिए रास्ता दिए जाने का तथ्य भी अंकित किया गया है। इस प्रकार पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को ख0नं0 1861 के लिए ख0नं0 1863 में होकर रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 251(ए) आर0टी0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/2/06 को सुनाया गया।

(सुधा रानी मीणा)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:24:42 IST
Reason: SelfAttested